

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 मई 2023—वैशाख 27, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2023

क्र. एफ ए 3-51-2019-1-पांच (17).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पांच (29), दिनांक 4 मई, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अगस्त, 2023 से प्रभावी, शब्द “दस करोड़ रुपये” के स्थान पर शब्द “पाँच करोड़ रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2023

क्र. एफ ए 3-51-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पांच (17), दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 17th May 2023

No. F A 3-51-2019-1-V(17).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F A 3-51-2019-1-V(29), dated 4th May, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of August, 2023, for the words “ten crore rupees”, the words “five crore rupees” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.